उत्तर प्रदेश शासन
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3
संख्या-175डब्लू(1)/25-27-3099-165-2025
लखनऊः दिनांकः 17 नवम्बर, 2025

शुद्धि-पत्र

सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती से संबंधित अनुबंध संख्या-07/अ0अ0/1981-82 के अन्तर्गत नहर खुदाई हेतु कराये गये कार्य के भुगतान के संबंध में आर्बीट्रेटर द्वारा पारित एवार्ड दिनांक 25.01.2023 अनुपालना हेतु शासनादेश सं0-57/001/175डब्लू-25-27-3099-165-2025, दिनांक 28 अक्टूबर 2025 द्वारा धनराशि रूपये 2,67,972.00 (दो लाख सड़सठ हजार नौ सौ बहत्तर रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त शासनदेश दिनांक 28.10.2025 के पृष्ठांकन के क्रमांक (8) पर अंकित कोषाधिकारी, मथुरा के स्थान पर कोषाधिकारी, श्रावस्ती, क्रमांक (9) पर अंकित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मथुरा के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता, नवम् मण्डल सिंचाई कार्य, बहराईच एवं क्रमांक (10) पर अंकित अधिशासी अभियन्ता, निचली माट शाखा खण्ड गंगा नहर, मथुरा के स्थान पर अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती पढ़ा एवं समझा जाय।

2- उक्त शासनादेश संख्या-57/001/175डब्लू-25-27-3099-165-2025, दिनांक 28 अक्टूबर 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

चन्द्र भूषण
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।
(7) मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-प्रथम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अयोध्या।
(8) अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) कोषाधिकारी, श्रावस्ती।
(10) अधीक्षण अभियन्ता, नवम् मण्डल सिंचाई कार्य, बहराईच।
(11) अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती।
(12) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(13) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(14) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(15) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-57/001/175डब्लू-25-27-3099-165-2025

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 अक्टूबर, 2025

विषयः मा0 जनपद न्यायालय, बहराईच में विचाराधीन वाद संख्या-मु0आर0एम0सी0 नं0-5/74/2003 आबिद अली बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य आर्बिट्रेशन की धनराशि का भारित मद में धनावंटन कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-585/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भारित मद/सरयू परियोजना-प्रथम, दिनांक 12.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती से संबंधित अनुबंध संख्या-07/अ0अ0/1981-82 के अन्तर्गत नहर खुदाई हेतु कराये गये कार्य के भुगतान के संबंध में आर्बीट्रेटर द्वारा पारित एवार्ड दिनांक 25.01.2023 तथा वाद संख्या-95/1988 की अनुपालना हेतु धनराशि रूपये 2,67,972.00 (दो लाख सड़सठ हजार नौ सौ बहत्तर रूपये मात्र) को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार भुगतान किये जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: सरयू नहर खण्ड-6, श्रावस्ती से संबंधित अनुबंध संख्या-07/अ0अ0/1981-82 के अन्तर्गत नहर खुदाई हेतु कराये गये कार्य के भुगतान के संबंध में आर्बीट्रेटर द्वारा पारित एवार्ड दिनांक 25.01.2023 तथा वाद संख्या-95/1988 की अनुपालना हेतु धनराशि रूपये 2,67,972.00 (दो लाख सड़सठ हजार नौ सौ बहत्तर रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व गणनाचक्र की शुद्धता की जांच प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित रूप से कर ली जायेगी। गलत/त्रुटिपूर्ण भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 2,67,972.00 (दो लाख सड़सठ हजार नौ सौ बहत्तर रूपये मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-33-051-10-14 सम्बद्ध कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।
(6) मुख्य अभियन्ता (सरयू परियोजना-प्रथम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, अयोध्या।
(7) अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) कोषाधिकारी, मथुरा।
(9) अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मथुरा।
(10) अधिशासी अभियन्ता, निचली माट शाखा खण्ड गंगा नहर, मथुरा।
(11) सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(14) गार्ड फाईल।

आज्ञा से
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।